



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2025/923

भिलाई, दिनांक 14.07.25

//आदेश//

श्री गोवर्धन प्रसाद साहू पिता स्व.श्री चन्दू राम, भृत्य जोन क्रमांक 04 को दिनांक 05.02.2024 से 06.01.2025 तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रं./एफ-47/1/सा.प्र.वि./2024/14 भिलाई, दिनांक 06.01.2025 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया। अपचारी कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.02.2025 एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप सिद्ध होना पाया गया है।

अतः श्री गोवर्धन प्रसाद साहू, भृत्य का आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जाता है तथा अनुपस्थिति अवधि के वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि को छोड़कर अन्य समस्त प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य करते हुए उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच को समाप्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 14.07.25

पृ.क्र/एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2025/924
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 4 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- ✓ 8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
10. श्री गोवर्धन प्रसाद साहू, भृत्य नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई